

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/जी-05/2019/

दिनांक:-

### आदेश

श्रीमती ज्ञानश्री सौलकी, ग्रामीण नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुराना अस्पताल, डूंगरपुर को चिकित्सा प्रमाण-पत्र (स्वयं की बीमारी)/पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. स	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस	विवरण
1	29.09.2010	12.11.2010	45	असाधारण अवकाश
2	16.11.2010	10.02.2011	87	असाधारण अवकाश

उक्त आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक **F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1** दिनांक 11.06.2014 के द्वारा वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 22.05.09 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में 42 दिवस अभिवृद्धि की जावेगी।

—३६

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक—नर्सिंग/नर्स-2(F)/जी-05/2019/877

दिनांक—21/6/19

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 128/एस.एम./एमएण्डएच/2019 दिनांक 04.06.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 3279/एसीएस/एम एण्ड एच/2019 दिनांक 07.06.2019 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई. डी क्रमांक 845 दिनांक 12.06.2019 के संदर्भ में।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
5. श्रीमती ज्ञानश्री सौलकी, ग्रामीण, नर्स-2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर